फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 01-वेतन	13821.04	2147.30	2147.30	2147.30	11673.74
योग-	**13821.04**	**2147.30**	**2147.30**	**2147.30**	**11673.74**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	700.00	800.00	100.00	100.00	800.00
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	00	2047.30	2047.30	2047.30	2047.30
योग -	**700.00**	**2847.30**	**2147.30**	**2147.30**	**2847.30**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

क- मद संख्या 01- वेतन (परिवहन अधिष्ठान) :- कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने व कार्मिकों की भर्ती न होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

क- मद संख्या 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (परिवहन अधिष्ठान) :- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 07-11-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रेषित आय-व्ययक अनुमान में परिवहन अधिष्ठान योजना की मानक मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 950.00 लाख के बजट की मांग का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र रू0 700.00 लाख का बजट प्रावधानित स्वीकृत होने के कारण।

ख- मद संख्या 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) (सड़क परिवहन अधिष्ठान) :- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 19-03-2024 द्वारा लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल की मानक मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू0 2047.30 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था परन्तु बजट एलाटमेंट में फीडिंग करते समय हुई त्रुटि के कारण उक्त मद में इंट्री न होकर लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय की मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में हो गयी है। चूंकि वित्त विभाग की आर0आई0 संख्या प्राप्त हो गयी है, अत: उक्त आदेश निर्गत किया जा रहा है। उक्त त्रुटि को सही कराते हुए लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय की मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 2047.30 लाख को लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल की मानक मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में पुनर्विनियोजित कराते हुए बी0एम0-9 (भाग-1) का आदेश पृथक से किया जा रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियेाग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1-774, दिनांक 22.03.2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या- 34/2024/744/तीस-3-2024 दिनॉक 23 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in